

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान - जहाजपुर)

प्रकरण संख्या / 503/2022

दिनांक :- 20.5.2022

उनवान

श्री. अर्जुन लाल पुत्र


बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

भारतपालस मीणा


:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,  
पटवारी हल्का गाडेखी भू. अ. नि. अमरवासी एवं तहसीलदार जहाजपुर की  
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम गोरमगट प. ह. गाडेखी की वर्तमान जमाबन्दी  
संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 194 में प्रार्थीगण की  
प्रविष्टि उरजण पुत्र नरामण के स्थान पर  
अर्जुन लाल पुत्र भारतपालस मीणा राजस्व  
रिकॉर्ड में दर्ज करने आ आदेश जारी किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
कर पालना प्रस्तुत की जाये।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री अर्जुन लाल पुत्र नरामण लाल
3. रक्षित पत्रावली

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा